"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2007—श्रावण 26, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2007

क्रमांक/परिसमापन/06/751.—पंजीयन क्रमांक 3718 दिनांक 20-3-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 23-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर हरिजन बेरोजगार लेबर कांस्टेक्शन सह. स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2007

क्रमांक/परिसमापन/06/752.—पंजीयन क्रमांक 108 दिनांक 19-4-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1189 दिनांक 23-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर प्रगतिशील बेरोजगार स. स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. के. बंदे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2007

क्रमांक/परिसमापन/06/753.—पंजीयन क्रमांक 3907 दिनांक 24-8-98 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1191 दिनांक 23-8-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर राजीव सफाई कामगार स. स., बापूनगर रेल्वे परिक्षेत्र को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. के. बंदे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2007

क्रमांक/परिसमापन/06/754.—पंजीयन क्रमांक 3951 दिनांक 1-5-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1192 दिनांक 23-8-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर इंदिरा कामगार सह. समिति मर्या., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. के. बंदे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 13 जून 2007

क्रमांक/परिसमापन/06/755.—पंजीयन क्रमांक 3806 दिनांक 3-10-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 720 दिनांक 9-6-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर मां दुर्गा खनिज सह. समिति मर्या., मोपका को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/757.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिस./340 बिलासपुर दिनांक 7-3-2007 के द्वारा दुग्ध उत्पाक सहकारी समिति मर्या., गिधा पं. क्र. 3149 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था अध्यक्ष एवं परिसमापक श्री आर. एम. खैरवार द्वारा संस्था के संबंध में टीप के अनुसार संस्था नियमित कार्यशील है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिए गए टीप से पूर्णतः सहमत होते हुए दुग्ध उत्पाक सहकारी समिति मर्या., गिधा का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुनर्जीवित करता हूं. यह आदेश दिनांक 14-6-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/787.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/50/बिलासपुर, दिनांक 12-1-2006 के तहत दुग्ध उत्पाक सहकारी समिति मर्यादित, मेण्ड्रापारा पंजीयन क्रमांक 3721 दिनांक 18-4-96 विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. सूर्यनारायण सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-6-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.